

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 अप्रैल, 2014

आय-कर

का.आ. 997(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12 में,

(क) उपनियम (1) में, “2013” अंकों के स्थान पर “2014” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के परंतुक में “धारा 115 जख” शब्दों के पश्चात् “या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सूचना देना ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (3) के पहले परंतुक में,-

(अ) खंड (ककख) के पश्चात् निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ककग) किसी फर्म से भिन्न प्ररूप आ.क.वि.-5 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति जिसे खंड (ककक) लागू होता है, निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति विवरणी में प्रस्तुत करेगा ;”;

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) आ.क.वि.-7 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा,-

(अ) धारा 139 की उपधारा (4ख) के अधीन प्रस्तुत किए जाने की दशा में, खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में;

(आ) अन्य दशाओं में खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में ;”;

(घ) उपनियम (4) में “लेखापरीक्षा की रिपोर्ट” शब्दों के पश्चात् “या सूचना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (5) में, “2012” अंकों के स्थान पर “2013” अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में परिशि-ट-2 में “प्ररुप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, सुगम (आ.क.वि.-4एस) और आ.क.वि.-5” के स्थान पर क्रमशः “प्ररुप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, सुगम (आ.क.वि.-4एस) और आ.क.वि.-5” निम्नानुसार रखे जाएंगे :--

[अधिसूचना सं. 24/2014/ फा.सं.142/2/ 2014-टीपीएल]

(गौरव कनौजिया)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 द्वारा अधिसूचना का.आ. सं0 878(अ) तारीख 21.03. 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st day of April, 2014

Income-tax

S.O.997(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (4th Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2014.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12,—
 - (a) in sub-rule (1), for the figures “2013”, the figures “2014” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule(2), in the proviso after the words and figures “section 115JB” the words “or to give a notice under clause (a) of sub-section (2) of section 11” shall be inserted;
 - (c) in sub-rule (3), in the first proviso,-
 - (A) after clause (aab), the following clause shall be inserted, namely:-
“(aac) a person required to furnish the return in Form ITR-5, other than a firm to which clause (aaa) is applicable, shall furnish the return for the assessment year

2014-15 and subsequent assessment years in the manner specified in clause (ii) or clause (iii);”;

(B) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) a person required to furnish the return in Form ITR-7 shall furnish the return for assessment year 2014-15 and subsequent assessment years, -

(A) in case it is furnished under sub-section (4B) of section 139, in the manner specified in clause (ii);

(B) in other cases, in the manner specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii):”;

(d) in sub-rule (4), after the words, “report of audit”, the words “or notice” shall be inserted;

(e) in sub-rule (5), for the figures “2012”, the figures “2013” shall be substituted.

3. In the said rules, in Appendix-II, for “Forms SAHAJ (ITR-1), ITR-2, SUGAM (ITR-4S) and ITR-V” the “Forms SAHAJ (ITR-1), ITR-2, SUGAM (ITR-4S) and ITR-V” shall be respectively substituted as follows:-

[Notification No. 24/2014/ F.No.142/2/2014-TPL]

(Gaurav Kanaujia)
Director to the Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2014 vide notification S.O. No. 878 (E) dated 21 March, 2014.